राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः प.2(30)नविवि/3/2016–पार्ट/ जयपुर,दिनांकः– 15.1.18

आदेश

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत शहरी जन कल्याण शिविरों का आयोजन दिनांक 10.05.17 से 10.07.17 तक किये जाने हेतु विभागीय आदेश दिनांक 25.04.2017 के द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये था। मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविरों के माध्यम से कई प्रकार की छूट दी गई थी, जो दिनांक 31.12.2017 को समाप्त हो चुकी है। इसी प्रकार वित्त विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश भी दिनांक 31.12.2017 तक ही प्रभावी थे।

जन सामान्य की मांग है कि वे जन कल्याण शिविरों में किन्ही कारणों से आवेदन पेश नहीं कर सके इसलिए मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना में आवेदन प्राप्त करने की अवधि में वृद्धि की जावे।

अतः जन सामान्य द्वारा पुनः की जा रही मांग को ध्यान में रखते हुये मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना की अवधि एतद् द्वारा दिनांक 30.06.2018 तक बढाई जाती है इस अवधि में गठित एम्पावर्ड कमेटी को प्रदत्त अधिकार यथावत रहेगें। प्राप्त प्रकरणों का इस अवधि में निस्तारण किया जाकर जन कल्याण शिविरों में जो विभिन्न छूटे विभागीय स्तर पर प्रदान की गई थी, उसकी प्रभाविता भी दिनांक 30.06.2018 बढाई जाती है। इस प्रकार पूर्व में जो कार्य शिविर आयोजित करके शिविरों के दौरान किये जा रहे थे वे सब निकाय कार्यालयों में सम्पादित किये जावेगें। वित्त विभाग व राजस्व विभाग के द्वारा दी जाने वाली छूट के आदेश प्रकियाधीन होने से पृथक से जारी किये जावेगें।

उक्त आदेश अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास अलवर, भिवाडी में प्रभावी नहीं होगा।

15/1/18

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है–

(1) विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।

(2) निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।

(3) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।

(4) आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।

(5) आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

(6) सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।

(7) समस्त अध्यक्ष/सचिव, नगर विकास न्यास।

(8) निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।

(9) संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, जयपुर।

(10) वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।

(11) अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।

(12) वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोर्ड करने हेतु।

(13) उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।

(14) रक्षित पत्रावली।

17/1/18

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

17-1-18